पंचा. निग. मु.सं. 04 / 2015
RCMS Case No. 2015/00039

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी— श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.**

पंचायत निगरानी संख्याः 04 / 2015

विकास अधिकारी पंचायत समिति बीकानेर

निगरानीकर्ता

**बनाम**

1— महेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति भार्गव निवासी वार्ड नं. 18, शनिश्चर मन्दिर के पास, नापासर तहसील व जिला बीकानेर

2— ग्राम पंचायत नापासर, तहसील बीकानेर जिला बीकानेर जरिये सरपंच

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थितिः—
1— श्री मुकेश आचार्य — अभिभाषक निगरानीकर्ता
2— श्री चतुर्भुज सारस्वत — अभि. गैर निगरानीकर्ता सं. 1
3— अन्य अनुपस्थित

**आदेश** दिनांक 29.11.2019

1. निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत नापासर द्वारा अप्रार्थी महेन्द्र पुत्र रामप्रताप भार्गव के पक्ष में पट्टा संख्या 20 / 251 दिनांक 20.03.2008 के विरूद्ध यह निगरानी राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जारी पट्टा अवैध व नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

2. निगरानी प्रस्तुत होने पर मामला दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया व मूल रिकार्ड मंगवाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब व संक्षिप्त लिखित बहस पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तदन्दर मामले के गुणावगुण पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

3. निगरानीकर्ता प्रार्थी की तरफ से उनके अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टा संख्या 20 / 215 दिनांक 20.3.2008 महेन्द्र कुमार को अवैध व नियम विरूद्ध जारी किया है। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रदीप भार्गव पुत्र सुन्दरलाल ने जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष एक शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की कि "प्रार्थी के पिता सुन्दरलाल के नाम से ग्राम पंचायत नापासर, बीकानेर द्वारा आबादी भूमि

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

में पट्टा संख्या 512 दिनांक 21.8.1986 को जारी किया गया। जिसके आसे पासे दक्षिण में रास्ता बताया है। रास्ते के पश्चात् ओमप्रकाश पुत्र मघाराम कुम्हार जिसका पट्टा विलेख संख्या 04/126 दिनांक 20.02.2004 ग्राम पंचायत नापासर द्वारा जारी किया गया है। ओमप्रकाश के पश्चिम में बीरबलराम, हड़मानराम मेघवाल का मकान है। ग्राम पंचायत नापासर द्वारा महेन्द्र पुत्र रामप्रताप भार्गव के नाम पट्टा संख्या 20/251 दिनांक 20.03.2008 को गुपचुप तरीके से सार्वजनिक रास्ते की भूमि को शामिल करते हुए जारी करवा लिया। जिसका जांच की जाकर उक्त पट्टे को निरस्त किया जावे।" जिस शिकायत पर कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर द्वारा निगरानीकर्ता को जांच के आदेश दिये गये। विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 17.11.2014 को जांच पूर्ण कर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पाया कि "शिकायतकर्ता के पिता के नाम से जारी पट्टा दिनांक 21.08.1986 के दक्षिण में गली दर्शाई हुई है। इसी प्रकार ओमप्रकाश पुत्र मघाराम कुम्हार के नाम से आवासीय पट्टा दिनांक 20.02.2004 को जारी किया है उसके उत्तर दिशा में गली दर्शाई गई है। महेन्द्र भार्गव के नाम आवासीय पट्टा दिनांक 20.3.2008 जारी किया है उक्त पट्टा को तात्कालिक सरपंच श्रीमती नत्थीदेवी एवं ग्राम सेवक श्री किशनलाल ने नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है। मौका निरीक्षण को उक्त स्थल गली के रूप में खुला पाया गया तथा शिकायतकर्ता प्रदीप भार्गव के घर के खिड़की दरवाजे उक्त गली में खुलते है और महेन्द्र कुमार ने अपने प्लॉट में किसी प्रकार के आवास का निर्माण नहीं करवाया। प्लॉट खाली है। महेन्द्र भार्गव का पट्टा ग्राम पंचायत नापासर द्वारा पंचायत राज. अधिनियम 1994 के नियम 157(ख) के अनुसार 200/– रूपये में जारी किया गया है परन्तु उक्त नियम में स्पष्ट है कि लागु होने की तिथि से 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकान का नियमितीकरण किया जावे। जबकि मौका निरीक्षण के समय घर या अन्य किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं पाया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया है।" जांच में विकास अधिकारी द्वारा हड़मानराम पुत्र मोडाराम के बयान लेखबद्ध किये गये जिसमें उसने बताया कि मेरे आने जाने का रास्ता गली में से ही है। जिसका पट्टा महेन्द्र भार्गव ने अवैध रूप से बना लिया है, प्लॉट खाली पड़ा है, कोई रिहायश नहीं है। इसी प्रकार प्रदीप कुमार भार्गव ने अपने बयानों में कहा है कि दक्षिण दिशा में हमारे घर के बारी–बांडे खुलते है जो आज दिनांक तक है, घर के स्नानघर का नाला भी इसी गली में खुलता है। हमारे पड़ौसी ओमप्रकाश के मकान का पट्टा के उत्तर में भी दर्शाई हुई है। मौका रिपोर्ट समस्त दस्तावेजात, पड़ौसियों के पट्टे, पूर्व के बने पट्टे एवं

अति॰ जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

बयानात एवं समस्त जांच से यह पाया गया कि तात्कालिक सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा 157(ख) पंचायत राज अधिनियम की गलत व्याख्या कर पट्टा अवैध रूप से गलत बनाया है। जो रास्ता आम का बनाया है विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रास्ता आम का पट्टा नहीं बनाया जा सकता। समस्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् कार्यालय जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा निगरानीकर्ता को पट्टा निरस्त करवाने का आदेश दिनांक 19.12.2014 को दिया गया। निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। उन्होंने बहस के अन्त में निवेदन किया कि शिकायत पर जांच हुई। जांच में पाया कि 21.8.1986 को पट्टा जारी किया गया है उसमें दक्षिण दिशा में रास्ता है। पट्टा 20.3.2008 को पट्टा जारी करवा लिया। 50 वर्ष कब्जे के आधार पर पट्टा जारी किया जाता है। सरपंच के विरूद्ध कई मुकदमें दर्ज हुए है। मियाद में है। गलत व्याख्या की है। प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नापासर द्वारा जारी किये गये पट्टा संख्या 20/251 दिनांक 20.03.2008 महेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप जाति भार्गव को अवैध व नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

4. इसके विपरीत अप्रार्थी नं0 1 के अधिवक्ता ने जवाब व संक्षिप्त लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी के पैरा सं. 1 से 7 में वर्णित तमाम कथम गलत बयानी होने से अस्वीकार है। विकास अधिकारी स्वतः किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकारी नहीं है जब तक की वह उस पंचायत का प्रतिनिधि के हैसियत से कार्यवाही करने का अधिकारी नहीं हो, विकास अधिकारी अपने आप में न तो कोई बोडी है ना ही पर्सन है। इसलिए निगरानी करने का अधिकारी नहीं है। अगर विकास अधिकारी के समक्ष पंचायत समिति में अगर कोई अपील किसी के द्वारा प्रस्तुत हुए है तो विकास अधिकारी स्वयं धारा 61 के अन्तर्गत सुनवाई कर सकता है। ऐसे में जहां पर अपील की सुनवाई का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है वहां पर उक्त निगरानी नाकाबिल चलने के है। पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 का किस प्रकार से नियम विरूद्ध है कोई कथन बयान नहीं किये गये है। विकास अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही की गई तो वह एकतरफा कार्यवाही है तथा एकतरफा कार्यवाही का कोई दबाव व फायदा प्रार्थी को नहीं दिया जा सकता, जबकि महेन्द्र का कोई भी रास्ता तारबंदी गेट पानी का कनेक्शन, आदि अप्रार्थी संख्या 1 के पट्टे में है जब मौके पर कोई गली ही नहीं है तो उसका फायदा प्रार्थी प्राप्त नहीं कर सकता। रास्ता आम किसी भी पट्टे पर नहीं आया हुआ है। रास्ता आम के कथन झूठे बयान किये गये है। प्रभावित पक्षकार को सुनवाई किये बिना कोई भी आदेश नहीं किया जा सकता

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

और ऐसे किसी भी आदेश की अप्रार्थी संख्या 1 को जानकारी नहीं है। निगरानी मियाद बाहर है। उन्होनें बहस में यह भी निवेदन किया कि प्रदीप कुमार भार्गव के स्वयं के नाम का कोई पट्टा नहीं है तथा उसके पिता के कई वारिसान है ऐसे में शिकायत करने की इस पट्टे के आधार पर प्रदीप कुमार का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है। विकास अधिकारी द्वारा स्वयं ही निगरानी करने के लिये किसी प्रकार के अधिकृत नहीं है। जबकि पंचायत समिति जरिये विकास अधिकारी हो सकता है। निगरानी में विकास अधिकारी ने जिन पट्टो का हवाला दिया है उन पट्टों में कहीं भी रास्ता आम वर्णित नहीं है बल्कि जो जाचं की गई है उसकी जानकारी प्रार्थी को इस मुकदमें में हुई है इससे पूर्व उसे कोई जानकारी नहीं थी। ऐसी जांच रिपोर्ट एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से नाकाबिल चलने के है। जिस शिकायतकर्ता के आधार पर यह निगरानी पेश की गई है उसके द्वारा एक दावा अपर सिविल न्यायाधीश संख्या 2 बीकानेर में प्रदीप कुमार बनाम महेन्द्र 107/15 प्रस्तुत किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2015 को अन्तरिम रूप से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। इस प्रकार एक ही तथ्य के संबंध में दो दावे या दो अनुतोष नहीं दिये जा सकते, जब सिविल न्यायालय द्वारा अन्तरिम प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है तो उसके उपरान्त निगरानी धारा 11 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने योग्य है। निगरानी धारा 97 के तहत प्रस्तुत की गई है जिसमें समय सीमा तय नहीं है और जहां पर समय सीमा तय न हो वहां पर परिसीमा अधिनियम की धारा 137 में अवधि 3 वर्ष दर्शित की गई है ऐसे में निगरानी समय सीमा बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। धारा 97 के अनुसार प्रार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देना आवश्यक है जो किसी जांच में नहीं दिया गया है। जहां निगरानीकर्ता शिकायतकर्ता के आधार पर निगरानी लाया है वहां शिकायतकर्ता द्वारा दावा प्रस्तुत कर दिया गया है तो ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। निगरानी में पैरा संख्या 6 में निगरानीकर्ता पट्टा निरस्त करने के आदेश प्रदान करना बताया जा रहा है वहीं दूसरी ओर उक्त पट्टा निरस्त करने का अनुतोष चाह रहा है ऐसे में जिला कलक्टर के आदेश के विरूद्ध उपरोक्त निगरानी श्रीमान्जी के यहां नाकाबिल चलने के है। इस मुकदमें में प्रदीप कुमार आवश्यक पक्षकार था जिसे पक्कार नहीं बनाया गया है जिसे आवश्यक पक्षकार के अभाव में निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। उन्होंने बहस के अन्त में निवेदन किया कि विकास अधिकारी पक्षकार नहीं हो सकता है। धारा 97 में नहीं है। धारा 61 में अपील विकास

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

अधिकारी सुन सकता व वैकल्पिक उपचार है। जिन पट्टो के आधार पर आम रास्ता बताया जा रहा है उनकी मूल पत्रावली या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रदीप कुमार के नाम पट्टा नहीं है। गली सार्वजनिक नहीं है। प्रदीप कुमार ने सिविल वाद भी प्रस्तुत किया हुआ है। जिसमें ग्राम पंचायत पक्षकार है। मियाद में नहीं है। तीन वर्ष की अवधि है। अतः निगरानी खर्चे सहित खारिज फरमाई जावे।

5. प्रार्थी निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने पुनः बहस में कथन किया कि विकास अधिकारी द्वारा जांच कर कार्यवाही की गई है।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व इस मामले से संबंधित मूल रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । इस मामले से संबंधित मूल पत्रावली का अवलोकन करने से यह तथ्य र्निविवाद है कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नापासर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 20/251 दिनांक 20.03.2008 जारी किया गया है। उक्त पट्टा के संबंध में शिकायत होने पर पंचायत प्रसार अधिकारी एवं प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति, बीकानेर द्वारा जाचं की गई। जिसमें पट्टे को पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 157 ख की गलत व्याख्या कर जारी किया जाना पाया है। इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा लिखित बहस में कथन किया है कि पंचायत के द्वारा जारी पट्टे के विरूद्ध धारा 61 में विकास अधिकारी के यहां अपील के प्रावधान है तथा उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य सिविल वाद विचाराधीन है। जहां तक धारा 61 में अपील के प्रावधान विद्यमान होते हुवे निगरानी धारा 97 में सुनने का प्रश्न है इस पर कानूनी रूप से कोई रोक नहीं है तथा विचाराधीन सिविल वाद की प्रकृति चिर–निषेधाज्ञा के वाद की है जो कि निगरानी की विषयवस्तु से भिन्न है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नापासर द्वारा जारी पट्टा संख्या 20/251 दिनांक 20.03.2008 को निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड लौटाया जावे।

( ए.एच.गौरी )
अति.जिला कलक्टर,
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर